

न्यायालय सभागीय आयुक्त, कोटा सभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
 प्रकरण संख्या: 23/2021/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
 दायरा दिनांक 8.1.2021
 किस्म अपील: धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

कृष्ण मुरारी आत्मज भंवरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम सूसा तहसील नैनवा जिला बूंदी।
अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बूंदी-राज0।

..... रेस्पोजेन्ट




उपस्थित : श्री हेमेन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
 श्री सैफुद्दीन अंसारी अभिभाषक रेस्पोजेन्ट

:: निर्णय ::


दिनांक 8.3.2021

- 1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 432/प्रार्थना पत्र/2001 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा बनाम कृष्णमुरारी आत्मज भंवरलाल गूजर निवासी सूसा तहसील नैनवा जिला बूंदी मे पारित निर्णय दिनांक 22.10.2002 के विरुद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।
- 2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांत के पक्ष मे आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा ख0 नं0 34 मिन रकबा 11 बीघा कृषि भूमि वाके ग्राम सूसा का दिनांक 9.7.1999 को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिये तहसीलदार नैनवा द्वारा अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22.10.2002 से स्वीकार कर अपीलांत कृष्णमुरारी को किया गया भूमि आवंटन निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका मे प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है, क्योंकि अपीलांत के पक्ष मे नियमानुसार बाद जांच पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपना कर उपरोक्त आराजी का आवंटन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं होते हुये भी आवंटन खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांत अपने परिवार के साथ काफी समय से अलग निवास करता है तथा उसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है। भूमिहीन काश्तकार की तारीफ मे आने से उसको आवंटन किया गया था। उक्त आराजी पर काफी पुराना कब्जा काश्त था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है।


 सभागीय आयुक्त
 कोटा सभाग, कोटा


आवंटित आराजी ही अपीलान्ट के परिवार की आय का एकमात्र साधन है यदि उक्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट के सामने भूखों मरने की नौबत आ जावेगी। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई सूचना नहीं मिली सर्वप्रथम दिनांक 8.1.2015 को पटवारी द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा आवंटन खारिज होने की बात कहने पर हुई। अतः जानकारी दिनांक 8.1.2015 को नकल प्राप्त करने के लिये आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 9.1.2015 को प्राप्त होने पर अपील अवधि मध्य पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय 22.10.2002 अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)बूंदी निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में हुये आवंटन को बहाल रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
4. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी भूमिहीन होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन कमेटी द्वारा अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। आवंटी के पास गुजर बसर करने हेतु अन्य कोई साधन नहीं है। भूमि आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। अपीलान्ट अपने परिवार के साथ काफी समय से अलग निवास करता है तथा उसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है। भूमिहीन काश्तकार की तारीफ में आने से उसको आवंटन किया गया था। उक्त आराजी पर काफी पुराना कब्जा काश्त था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त कर आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।
5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो० ने बहस में आवंटन विधि विरुद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से अपील खारिज योग्य है। अपील खारिज की जावे।
6. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील पर गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र में अपीलार्थी द्वारा आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8.1.2015 को पटवारी द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा आवंटन खारिज होने की बात कहने पर होना तथा जानकारी दिनांक 18.2.15 से अपील अवधि मध्य पेश की जाना वर्णित किया गया। रेस्पो० ने अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है ना ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।


 सभागीय जायकत
 कोटा संभाग, कोटा

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 9.7.99 को आवंटन कमेटी द्वारा अपीलार्थी कृष्णमुरारी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटित भूमि पर आवंटी का अतिक्रमण होना तथा अतिक्रमण भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र नियम 20 के अनुसार प्रारूप 5-ख में नहीं होने तथा आवंटी के अभिभाषक द्वारा आवंटी के परिवार के अन्य सदस्यों को 76 बीघा 01 बिस्वा भूमि का आवंटन नहीं किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये जाने/पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रस्तुत नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र को जेरअपील निर्णय दिनांक 22.10.2002 से स्वीकार कर आवंटन कमेटी द्वारा आवंटी/अपीलार्थी को किया गया भूमि का आवंटन निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि आवंटी भूमिहीन होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। भूमि आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया है। अपीलांट अपने परिवार के साथ काफी समय से अलग निवास करता है तथा उसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है। उक्त आराजी पर काफी पुराना कब्जा काश्त था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि भू आवंटन आवेदन पत्र (प्रारूप) के पुस्त पर बिन्दू सं० 1 लगायत 7 के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट है। उक्त रिपोर्ट में बिन्दू सं० 4 में अपीलार्थी/आवंटी के पिता की भूमि में उसके हिस्से अनुसार सिंचित 2 बीघा 10 बिस्वा तथा असिंचित 3 बीघा कुल 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि होना तथा बिन्दू सं० 5 में आवंटित भूमि पर स्वयं अतिक्रमी होना पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया है। अतः स्पष्ट है कि आवंटी के पास उपलब्ध भूमि नियमानुसार सिंचित भूमि की गणना दोगुना करने पर पिता की भूमि में से हिस्से अनुसार 8 बीघा एवं आवंटित भूमि ख० नं० 34 मिन रकबा 11 बीघा दोनों भूमि मिलाकर कुल 19 बीघा हो जाती जो तत्समय निहित प्रावधान अनुसार 15 बीघा से अधिक हो जाने से तत्समय के भू आवंटन नियम 20 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में हम आवंटन कमेटी द्वारा आवंटी कृष्णमुरारी को दिनांक 9.7.99 को ख० नं० 34 मिन रकबा 11 बीघा वाले ग्राम सूसा का किया गया भूमि आवंटन विधिसंगत होना नहीं पाते हैं। फलतः अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 22.10.2002 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइश नहीं है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

- 9 निर्णय आज दिनांक 8.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।


 8-3-2021
 (कैलाश चन्द मीना)
 सभापति आयुक्त नृत
 कोटा